web copy

श्रीमान् न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू
पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

दायर दिनांक 16.07.2018

परिवाद संख्या–2018/00069

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

कुलदीप पुत्र घेवरचंद तंवर, मैसर्स– बी.एल. बेवरेजेस, सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू
स्थाई पता – बाईपास रोड़ हनुमान धोरा वार्ड नं0 18 सुजानगढ़ जिला चूरू। –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय

दिनांक 27.08.2018

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.03.2018 को 1:30 पी.एम. पर मै0 बी.एल.बेवरेजस सांडवा पर पंहुचा। वहां पर श्री कुलदीप पाया गया। निमार्ण इकाई में एक लीटर की सील बन्द 20 काटुर्न में 240 सील बन्द **Packaged Drinking Water Brand R3** बोतल बेचने हेतु पाई गई मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water Brand R3** में मिलावट का शक होने पर **Packaged Drinking Water Brand R3** की 1 लीटर की 16 सील बन्द बोतल वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री कुलदीप को 240/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामूदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को पढकर एवं समझाकार एवं सुनाकर हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता कुलदीप को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Packaged Drinking Water Brand R3** के चार–चार बोतल चार गते के काटुर्नो में बांधकर नमूने के चार भाग बनाये। नमूने के चारो भागो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक **एल–1788** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाद्य पदार्थ की किस्म, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, अंकित किये लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को

web copy



अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **एल–1788** नियमानुसार चारों नमूनों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने एवं भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेंपर पर गवाह के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूनो के भागों पर मुख्य विशलेष्क राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेसन क्रमांक–136 दिनांक 02.05.2018 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./601/एक्ट/2018/696 दिनांक 24.04.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water Brand R3 सेक्शन 3 (1)(zf)(c)(i) Regulation2.2.2(10)** के अनुसार **मिसब्राण्डेड** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/210 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
9. यह कि उक्त प्रकरण में कुलदीप ने **मिसब्राण्डेड**, **Packaged Drinking Water Brand R3** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी से समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने दिनांक 21.08.2018 को स्वयं उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। उसने जाँच रिपोर्ट दिनांक 24.04.2018 से संतुष्ट होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ की एकपक्षीय बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water Brand R3** का सेम्पल नं. एल–1788 रिपोर्ट संख्या एल.एस./601/एक्ट/2018/696 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

**web copy**



खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ की एकपक्षीय बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **मिसब्राण्डेड**, **Packaged Drinking Water Brand R3** की सेम्पल नं. एल–1788 रिपोर्ट संख्या एल.एस. /601/एक्ट/2018/696 दिनांक 24.04.2018 से मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act, 2006 contravene regulation 2.2.2(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water Brand R3** बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल कुलदीप पुत्र घेवरचंद तंवर, मैसर्स– बी.एल. बेवरेजेस, सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू स्थाई पता – बाईपास रोड़ हनुमान धोरा वार्ड नं0 18 सुजानगढ़ जिला चूरू को 10000 रूपये (दस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियॉ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
चूरू